

(53)

160

माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल गवा लिबर सर्किटकोट रीवा

जिला रीवा ₹ १००/-

R. 5039-८115



R. 20/-

1:- हीरामणि विता सरजृसादबा० उम्र 62 साल,

2:- मोहनलाल विता सरजृसाद बा० उम्र 60 साल,

3:- जबूकाश विता सरजृसाद बा० उम्र 55 साल,

~~विवाहित~~ इड तभी का वेशा खेती, क्रमांक-1, 2 निवासी ग्राम व पो० डेल्ही,
थानाव तहसील मनगढ़ा, जिला रीवा, ₹ १००/- व क्रमांक-3
निवासी ग्राम नगदा, पो० मनगढ़ा, थानाव तहसील मनगढ़ा,

सर्किट कोट रीवा ----- निगरानीकर्ता/आवेदकगण
मिल्डर एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड रीवा

बनाम

1- गोविन्दसादविता तंकठाप्रसाद बा० उम्र 70 साल,

2- रमोलादेवीविता चन्द्रमणि प्रसाद बा० उम्र 75 साल,

3- देवराजविता तंकठाप्रसाद बा० उम्र 68 साल,

तभी निवासी ग्राम व पो० डेल्ही, थाना व तहसील मनगढ़ा,

जिला रीवा, ₹ १००/-

4- वेण्मणि विता सूर्य प्रताष पटेल उम्र 65 साल, सा० काँटी, पो० डेल्ही,

थाना व तहसील मनगढ़ा, जिला रीवा, ₹ १००/-

5- राजेन्द्रसोनी विता जगदीश प्रसाद सोनी निवासी ग्राम मनगढ़ा, पो०

मनगढ़ा, थाना व तहसील मनगढ़ा, जिला रीवा, ₹ १००/-

6- औम प्रकाश विता वेदमणि बा० उम्र 45 साल, निवासी ग्राम व पो०
डेल्ही, थाना व तहसील मनगढ़ा, जिला रीवा, ₹ १००/-7- कमलादेवी वति लक्ष्मण प्रसाद बा० उम्र 58 साल, निवासी ग्राम डेल्ही,
थाना व तहसील मनगढ़ा, जिला रीवा, ₹ १००/-

२०१८ नाम

चौथी पंक्ति ग्रन्ति ११/११/११

३८२

गांगण

लदार

०५०४ रिवे

गंक-३।-७८१५

९५९ ई०।

१०१११

(53)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक निग0 5039—II / 2015

जिला—रीवा

हीरामणि वगैरः/गोविन्द प्रसाद ब्राह्म

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री त्रिगुणसेन तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मनगवां के प्रकरण क्रमांक 05/अ-5/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p>M</p> <p>(बी.एम.शर्मा), सदस्य</p> 	